

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1983/चाद्र 24, 1905
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 15, 1983/BHADRA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1983

का. आ. 663(अ).—केंद्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस.एच. सैयद युगुफ को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, केंद्रीय वक्फ परिषद् को सर्वस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ.

751(क), तारीख 17 अक्टूबर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

मद (19) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी, जाएगी, अर्थात् :—

“(20) श्री एस.एस. सैयद यूसुफ

18/19, बाबा रोथर रोड, अलवरपेट,
मद्रास-600018 ।” ।

[फा. सं. 8(3)/80-वकफ (जि. 2)]

जमाल अब्दुल समद, उपसचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1983

S.O. 663(E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), the Central Government hereby appoints, on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, Shri S. H. Syed Yusuff as a member of the Central Wakf Council and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 751(E) dated the 17th October, 1981, namely :—

In the said notification,—

after item (19), the following item shall be added, namely :—

“(20). Shri S. H. Syed Yusuff
18/19, Bawa Rowther Road
Alwarpet. Madras-600018.”.

[F. No. 8(3)/80-Wakf (Vol. II)]

JAMAL ABDUL SAMAD, Dy. Secy.